

## न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 10/2025

प्रार्थी-	बनाम	अप्रार्थीगण-
1. श्री चेनाराम पुत्र जेठाराम जाति घांची, निवासी समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।		1. श्री देवाराम पुत्र जेठाराम जाति घांची, निवासी समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा। 2. श्री ग्राम पंचायत समदड़ी जरिए संरपच ग्राम पंचायत समदड़ी जिला बालोतरा। 3. श्री प्रशासक एवं अधिशापी अधिकारी, नगरपालिका समदड़ी।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरुद्ध पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2025 जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री कपील श्रीमाली, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्रीमती कैलाशपुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :24.09.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम पुत्र जेठाराम के नाम जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2023 के विरुद्ध दिनांक 09.04.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा समदड़ी में पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2023 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 269.16 वर्गगज दर्शाया गया है तथा पड़ोस बदिशा उत्तर में 115 व 20 फीट स्वयं का मकान, बदिशा दक्षिण 112 व 20 फीट चौक, गली, दरवाजा व महावीर/घेवरचन्द पारख, पूर्व में 15 व 36 फीट नवाराम पुत्र चतराजी माली तथा पश्चिम में 15 व 36 फीट रास्ता व दरवाजा आया हुआ है। उक्त पट्टे को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जेठाराम द्वारा वसियतनामा अप्रार्थी देवाराम के पक्ष में वसीयत किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा वसीयत के आधार पर उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी पैतृक सम्पत्ति का सत्य कथन करते हुए निगरानी प्रस्तुत की गयी है, किन्तु इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूखण्ड पर केवल अप्रार्थी का ही कब्जा है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 61 एवं नियम 166 में स्पष्ट है कि अपील के प्रावधान प्रदान किये गये है, जो न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते है। उक्त पट्टा पंजीकृत दस्तावेज तथा पंजीकृत दस्तावेज को वाईड डिक्लेयर किये जाने हेतु सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर है। सभी भाईयों को अपने-अपने हक हिस्से की सम्पत्ति मिल चुकी है। इस प्लोट पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कब्जा व स्वामित्व है अन्य भाईयों का इस पर कोई हक-हिस्सा नहीं है और न ही संयुक्त सम्पत्ति है। पंचायतीराज अधिनियम 1996 में बताये गये नियम 145 से 158 तक के सभी नियमों की पालना की गयी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर व क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारीज योग्य है।
5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों सगे भाई है। ग्राम समदड़ी के गोर का चौक में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जेठाराम के नाम का पट्टासुद रहवासीय भूखण्ड आया हुआ है। उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 26 दिनांक 11.10.2008 जेठाराम पुत्र नैनाराम घांची के नाम तत्कालीन ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी कर उप पंजीयक कार्यालय समदड़ी में पंजिकृत करवाया गया हुआ है। उपरोक्त वर्णित पट्टासुद रहवासीय भूखण्ड का एकमात्र मालिक जेठाराम ही था। जेठाराम द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त पट्टा संख्या 26 में वर्णित भूमि व स्वयं की अन्य स्वअर्जित स्वामित्व की भूमियों को पारिवारिक बंटवाड़े के दस्तावेज के जरिये प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द कर दी गई। प्रार्थी की माता को करीब 02 वर्ष मृत्यु हो जाने से जेठाराम बीमार रहने लगे, जिससे बीमारी की वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी द्वारा जेठाराम के स्वामित्व की पट्टासुद भूमि बाबत एवं फर्जी वसीयतनामा भी अपने पक्ष में निष्पादित करवा दिया। अप्रार्थी संख्या संख्या 1 के द्वारा जेठाराम के जीवनकाल में ही उनके स्वामित्व के सम्पूर्ण पट्टासुद भूमि को हड़प करने की नियत से उनकी सम्पूर्ण पट्टासुद के तीन अलग अलग पट्टे प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जेठाराम की वसीयत के आधार जेठाराम के जीवनकाल में ही, अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 24, 25, 26 निष्पादित कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टे में वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम की पट्टा संख्या 26 की भूमि थी। उक्त भूमि का पारिवारिक बंटवाड़ा हो चुका था, जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का समान रूप में हक हिस्सा मौजूद था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में ही तथाकथित फर्जी वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 08.10.2023 को स्वयं के हक में पट्टा जारी करवा दिया गया, जबकि वसीयकर्ता जेठाराम की मृत्यु दिनांक 13.10.2023 को हुई थी। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष जारी पट्टा पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि तथाकथित पट्टा पत्रावली पंचायत में पेश ही नहीं हुई एवं साथ ही पत्रावली में पंचायतराज अधिनियम के नियमों के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार, आपत्ति के नोटिस जारी करने, प्रस्ताव लेने, मौका निरीक्षण



इत्यादी की कार्यवाही सम्पन्न नहीं किये जाने से एवं उपरोक्त तमाम दस्तावेज पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से भी स्पष्ट है कि तथाकथित पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत में पेश ही नहीं हुई और न ही उस पर कोई प्रस्ताव लिया गया, न ही कोई मौका निरीक्षण किया गया न ही पट्टा जारी करने से पूर्व पट्टा धारक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति, संस्था की आपत्ति प्राप्त की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी ग्राम पंचायत के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जो उक्त पट्टे को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम अपने पिता जेठारामजी के साथ रह कर उनकी सेवा चाकरी करता रहा, इस दरमियान प्रार्थी चैनाराम ने कभी अपने माता पिता की सुध नहीं ली। जेठारामजी ने अप्रार्थी देवाराम की सेवा चाकरी से खुश होकर अन्तिम वसियत दिनांक 08.04.2022 को उप पंजीयक कार्यालय समदड़ी जाकर वादग्रस्त भूखण्ड जो जेठारामजी की निजी सम्पत्ति व पट्टा सुदा थी, को अप्रार्थी देवाराम के हक में रजिस्टर्ड वसीयत के जरिये दे दिया था। उक्त भूखण्ड पर जेठारामजी व उसका परिवार रहता था तथा उनके देहान्त के बाद अप्रार्थी देवाराम अपने परिवार सहित रहवास कर रहा हैं, जिसकी बखुबी जानकारी प्रार्थी चैनाराम को हैं। उक्त सम्पत्ति अप्रार्थी देवाराम को अपने पिता से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है, जिस पर सम्पूर्ण हक स्वामित्व विप्रार्थी देवाराम का है। उसी आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 61 एवं नियम 166 में स्पष्ट है कि अपील के प्रावधान है कि उक्त अनुतोष हेतु पंचायत समिति में अपील पेश करे, न कि न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी पेश करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार बाहर पेश की गई है। पट्टा पंजीकृत दस्तावेज तथा पंजीकृत दस्तावेज को वाईड डिक्लेयर किये जाने हेतु सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जहां पर न्यायालय शुल्क अदा किये जाने के पश्चात् सिविल दावा किया जाता है। प्रार्थी द्वारा कोर्ट फीस का भुगतान नहीं किये जाने के उद्देश्य से प्रावधित रेमेडी नहीं ली गयी है। पंजीकृत दस्तावेज को अपास्त किये जाने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है व कोई भी टाईटल डिसाईड करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी पैतृक सम्पत्ति का सत्य कथन करते हुए निगरानी प्रस्तुत की गयी है, किन्तु इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रार्थी ने उक्त अंतिम वसीयत दिनांक 08.04.2022 के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 का निजी कब्जा का उक्त वादग्रस्त भूखण्ड जिस पर ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत आबादी भूमि का विकय विलेख पट्टा जारी किया गया, जिसका प्रस्ताव लिया जाकर विधि अनुसार मौका निरीक्षण कर नियमानुसार शुल्क लेकर उक्त पट्टा जारी किया गया एवं जिसका पंजीयन अधिनियम के तहत दिनांक 04.12.2023 को पंजीबद्ध किया गया। पंजीकृत दस्तावेजात की वैधता विधिमान्यता देखने का अधिकार श्री न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी देवाराम के पिता जेठारामजी के नाम का निजी हक, स्वामित्व का था, तत्पश्चात जेठारामजी ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्र देवाराम के हक में वसीयत कर दिया व जेठाराम के हक में जारी पट्टा जमा करवाकर ग्राम पंचायत द्वारा देवाराम के हक में पट्टा जारी करवाया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य परिवार का ऐसा कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। प्रार्थी अपने विवाह के बाद से ही अपने पिता से अलग होकर भाखरवाली वास में जो जेठारामजी का दूसरा मकान था, जिस पर रहवास करना शुरू कर दिया था तथा जेठारामजी ने भाखरवाली वास में स्थित भूखण्ड



जिला कलक्टर  
जयपुर

को चैनाराम को दे दिया था, तब से प्रार्थी वहीं रहवास कर रहा है। उक्त वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 का निजी हक स्वामित्व का वसीयतसुदा भूखण्ड है, जिसका किसी प्रकार से कोई लेना देना प्रार्थी का नहीं है। उक्त पट्टा पत्रावली के नोटिस ग्राम पंचायत समदड़ी ने नियमों के मुताबिक चस्पा कर म्याद उपरांत विधि अनुसार, पत्रावली की आदेशिका ग्राम पंचायत द्वारा ही नियमानुसार बैठक आहत कर प्रस्ताव लेकर, ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण कर पूछताछ कर बयान लेकर उक्त सार्वजनिक बैठक में प्रस्ताव लेकर नियमानुसार आलोच्य पट्टा जारी किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2023 को पंचायतीराज अधिनियम के नियमों की पालना करते हुए सही व न्यायोचित जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

7. हमने पत्रावली में प्रार्थीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा मिसल संख्या 333/2023 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 08.10.2023 के अनुसरण में आलोच्य पट्टा सं. 26 दिनांक 08.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपत्ति हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2023 को नियम 157(1) के तहत एवं वसीयतनामा के आधार पर जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत समदड़ी की ओर से जारी आलोच्य पट्टा के विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 देवाराम पुत्र जेठाराम जाति घांची द्वारा उक्त भूमि पर 80 वर्षों का कब्जा होना बताकर ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश अवश्य किया है, लेकिन आवेदन कब पेश किया गया की दिनांक अंकित नहीं होना पाया और न ही सरपंच के हस्ताक्षर किए गए हैं तथा प्रार्थी देवाराम की उम्र ही आधार कार्ड के अनुसार 51 वर्ष होना पाया गया। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 25 दिनांक 08.10.2023 को जारी करते समय "पंचायती राज नियम 157(1) के तहत 50 वर्ष से अधिक पूर्व निर्मित मकानों हेतु 100/- या 200/- रु की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने उपरांत पट्टा जारी किया जा सकेगा" की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमन्त्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्पा करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में उक्त आलोच्य भूखण्ड का आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहीं पर चस्पा किया व सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया और न ही क्रमांक संख्या व दिनांक अंकित होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 "निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्रा के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी" की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। इसके अलावा अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के संलग्न सम्पूर्ण आदेशिकाएं में सरपंच, अन्य वार्ड प्रमुख (मिंबर) के हस्ताक्षर



नहीं होना पाया गया और न ही दिनांक अंकित होना पाया गया। साथ ही आलोच्य पट्टा से संबंधित मूल मिसल में कही पर भी सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया। साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मिसल एवं आदेशिकाएं कम्प्यूटरकृत प्रारूप निकालकर उसमें खानापुर्ति करना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये हैं। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन-पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्टि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी देवाराम के पिता जेठाराम के वसीयतनामा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें ग्राम पंचायत की मूल अभिलेख में उक्त आलोच्य पट्टा वसीयतनामा के आधार पर जारी किया हो, अंकित होना नहीं बताया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 में पंचायतो के आदेशों की अपील पंचायत समिति के समक्ष 30 दिन के भीतर भीतर कर सकेगा, जबकि प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरुद्ध वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए कभी भी कोई अपील संबंधित पंचायत समिति में पेश नहीं की है तथा हस्तगत निगरानी में उल्लेखित पट्टा एक पंजिकृत दस्तावेज है, जिसे श्री न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा किसी भी प्रकार से पुनरिक्षण एवं निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त दस्तावेज पंजिबद्ध होने से इसके संबंध में उत्पन्न सभी विवादों का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। इस संबंध में शासन सचिव पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.4/10/परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर को निर्धारित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी का कथन न्यायसंगत नहीं है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर को निर्धारित है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2023 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.10.2023 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार)  
जिला कलक्टर, बालोतरा  
बालोतरा